

71/2022

नरेन्द्र / राज. सरकार

दिनांक

आज्ञा पत्र

10.7.24



वकील <sup>पैसा</sup> अपील न उपास्थित होकर  
जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः  
अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील  
अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे  
अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।  
फलस्वरूप अपील अपीलाट नोट प्रेस में खारिज की  
जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण  
फैसल गुमार होकर नम्बर से कम होकर बन्द करती  
अर्थात् दायित्व बन्द हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्डन)

Not Press

Hidayat  
Nussu  
Adwal